संख्या- 10 /2021/ रिट-140 /23-2-2021-38 (रिट)/21

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2021

विषय:- रिट याचिका संख्या-2529/2020 गोविन्द व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 06 अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-12356 बी0जी0/209बी0(4)/2020-21, दिनांक 04.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-2529/2020 गोविन्द व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 06 अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2020 के अनुपालन में याचीगण को जीयनपुर मुबारकपुर बेरना बाईपास मार्ग के कि0मी0 2 के ग्राम अमिलो के पास अधिग्रहित भूमि के मुआवजे हेतु धनराशि रू0 20,39,162.00 (रूपये बीस लाख उन्तालीस हजार एक सौ बासठ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0302-विभिन्न मार्गो पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिए आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुए हों-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

6- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2021/ रि-140 /23-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
6- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।
10- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

20.12.2021

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner